पत्र सं0–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–04 / 2022–....27(7)ब........... /

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/ स्वा0,राँची,दिनांकः..02/07/2026......

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु मांग संख्या–20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी 110–अस्पताल और औषधालय 04–रेफरल अस्पताल के अन्तर्गत कुल ₹ 1,68,45,000 / – (एक करोड़ अड़सठ लाख पैंतालीस हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online आवंटन विवरणी में अंकित अस्पतालों को व्यय हेतु आवंटित किया जाता हैः–

क्र0	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
10	मांग संख्या–20 / 2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय / 04–रेफरल अस्पताल	₹ 1,68,45,000 / – (एक करोड़ अड़सठ लाख पैंतालीस हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1681 / वि0 दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल होंगे। विभागीय पत्रांक – 20(7), दिनांक – 15.04.2025 के आलोक में संबंधित जिले के सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) प्राप्त राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करेंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी केन्द्रवार अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(शिवजी वर्मा) सरकार के अवर सचिव	(सीमा कुमारी उदयपुरी) सरकार के संयुक्त सचिव	(संदीप कुमार दोराईबुरू) सरकार के अपर सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

11. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को सिविल सर्जन समानुपातिक रूप से सभी रेफरल अस्पतालों के लिए आवंटित करेंगे।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

13. रेफरल अस्पताल के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में इन ईकाइयों द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

14. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15. सभी सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ रेफरल अस्पताल को इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करेंगे।

16. दवा क्रय में निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गऐ दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन–चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2026 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

17. इस राशि से दवाओं के क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

27(7)25
02/07/2026

(शिवजी वर्मा)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(संदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	सरकार के अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

18. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

19. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी हैं, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

20. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम–235 को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु **E-Tender/ GeM** के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात् करना सुनिश्चित किया जाए।

22. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

23. प्रत्येक माह स्वंय सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र **Invoice** की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–04/2022 27(7)व /स्वा0,राँची,दिनांक– 02/07/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रम	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	0	705000	705000
2	कार्यालय उपकरण	0	280000	280000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	0	2450000	2450000
4	दूरभाष	0	15000	15000
5	वर्दी	0	445000	445000
6	चिकित्सकीय आपूर्ति	0	11500000	11500000
7	विद्युत व्यय	0	825000	825000
8	जेनरेटर का ईंधन	0	450000	450000
9	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	0	175000	175000
	कुल	**0**	**16845000**	**16845000**

आवंटन का सारांश

क्रम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	20S2210031100400031 5	705000
2	कार्यालय उपकरण	20S221003110040003 17	280000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	20S221003110040003 23	2450000
4	दूरभाष	20S221003110040003 33	15000
5	वर्दी	20S221003110040003 34	445000
6	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S221003110040003 36	11500000
7	विद्युत व्यय	20S221003110040003 37	825000
8	जेनरेटर का ईंधन	20S221003110040003 75	450000
9	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	20S221003110040004 42	175000
कुल आवंटित राशि			**16845000**

कुल : ₹ 1,68,45,000/– (एक करोड़ अड़सठ लाख पैंतालीस हजार) ।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	डी0डी0ओ0	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	जेनरेटर का ईंधन	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	कुल योग
1	**Chatra**	CTRMED013	1,00,000	35,000	2,50,000		50,000	15,00,000		1,00,000	-	20,35,000
2	**Dumka**	DMKMED079	1,50,000	35,000	2,50,000		2,07,750	5,00,000			25,000	11,67,750
3	**Garhwa**	GRHMED001	1,00,000	35,000	4,00,000		31,250	20,00,000		1,00,000	25,000	26,91,250
4	**Jamshedpur**	JSRMED031	5,000	35,000	1,00,000		25,000	5,00,000	2,50,000		25,000	9,40,000
5	**Koderma**	KDMMEDA09	50,000	35,000	2,00,000		45,000	10,00,000	5,00,000	50,000	25,000	19,05,000
6	**Khunti**	KHNMEDL05	1,00,000	35,000	5,00,000	15,000	55,000	25,00,000		1,00,000	25,000	33,30,000
7	**Sahebganj**	SBJMED001	1,00,000	35,000	2,50,000		25,000	15,00,000			25,000	19,35,000
8	**West Singhbhum**	SGHMED075	1,00,000	35,000	5,00,000		6,000	20,00,000		1,00,000	25,000	27,66,000
9	**Jamtara**	JMTMED058							75,000			75,000
कुल योग			**7,05,000**	**2,80,000**	**24,50,000**	**15,000**	**4,45,000**	**1,15,00,000**	**8,25,000**	**4,50,000**	**1,75,000**	**1,68,45,000**

27/7/ब
02/07/2026

(शिवजी वर्मा)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(संदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	सरकार के अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 04 - रेफरल अस्पताल

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100311004000315	20S22100311004000317	20S22100311004000323	20S22100311004000333	20S22100311004000334	20S22100311004000336	20S22100311004000337	20S22100311004000375	20S22100311004000442	Total
					कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	जेनरेटर का ईंधन	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chatra	CTRMED013	Satyendra Kumar Sinha	Cs Cum Cmo Chatra	₹1,00,000.00 (34277)	₹35,000.00 (34307)	₹2,50,000.00 (34329)	₹0.00	₹50,000.00 (34337)	₹15,00,000.00 (34356)	₹0.00	₹1,00,000.00 (34371)	₹0.00	₹20,35,000.00
2	Dumka	DMKMED079	Dr. Kamleshwar Prasad	C.S. Cum C.M.O.Dumka	₹1,50,000.00 (34278)	₹35,000.00 (34312)	₹2,50,000.00 (34330)	₹0.00	₹2,07,750.00 (34338)	₹5,00,000.00 (34359)	₹0.00	₹0.00	₹25,000.00 (34376)	₹11,67,750.00
3	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S.Cum C.M.O.Garhwa	₹1,00,000.00 (34279)	₹35,000.00 (34313)	₹4,00,000.00 (34331)	₹0.00	₹31,250.00 (34339)	₹20,00,000.00 (34362)	₹0.00	₹1,00,000.00 (34372)	₹25,000.00 (34377)	₹26,91,250.00
4	Jamshedpur	JSRMED031	Dr. Sahir Pall	C.S.Cum Cmo.Eastsinghbhum Jsr	₹5,000.00 (34280)	₹35,000.00 (34314)	₹1,00,000.00 (34332)	₹0.00	₹25,000.00 (34340)	₹5,00,000.00 (34363)	₹2,50,000.00 (34369)	₹0.00	₹25,000.00 (34378)	₹9,40,000.00
5	Koderma	KDMMEDA09	Anil Kumar	C.S Koderma	₹50,000.00 (34281)	₹35,000.00 (34315)	₹2,00,000.00 (34333)	₹0.00	₹45,000.00 (34341)	₹10,00,000.00 (34364)	₹5,00,000.00 (34370)	₹50,000.00 (34373)	₹25,000.00 (34379)	₹19,05,000.00
6	Khunti	KHNMEDL05	Lalit Ranjan Pathak	Civil Surgeon Cum Cmo,Khunti	₹1,00,000.00 (34282)	₹35,000.00 (34316)	₹5,00,000.00 (34334)	₹15,000.00 (34350)	₹55,000.00 (34342)	₹25,00,000.00 (34365)	₹0.00	₹1,00,000.00 (34374)	₹25,000.00 (34380)	₹33,30,000.00
7	Sahebganj	SBJMED001	Ramdeo Paswan	C.S.Cum.C.M.O.Sbg	₹1,00,000.00 (34283)	₹35,000.00 (34319)	₹2,50,000.00 (34335)	₹0.00	₹25,000.00 (34343)	₹15,00,000.00 (34366)	₹0.00	₹0.00	₹25,000.00 (34381)	₹19,35,000.00
8	Singhbhum West	SGHMED075	Jujhar Majhi	Civil Surgeon Cum C.M.O.Cbsa	₹1,00,000.00 (34284)	₹35,000.00 (34323)	₹5,00,000.00 (34336)	₹0.00	₹6,000.00 (34344)	₹20,00,000.00 (34367)	₹0.00	₹1,00,000.00 (34375)	₹25,000.00 (34382)	₹27,66,000.00
9	Jamtara	JMTMED058	Shiv Prasad Mishra	C.S.Cum C.M.O.Jamtara.	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹75,000.00 (34368)	₹0.00	₹0.00	₹75,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,68,45,000.00 (एक करोड अडसठ लाख पैंतालीस हजार **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

27(7)ब
02/07/2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY